(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास **मलसीसर जिला** झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 137/2020
GCMS NO. 2020/00212

श्रवणसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति अहीर (यादव) निवासी आमदलशाहपुर तहसील झंझार जिला झज्जर हरियाणा

– प्रार्थी

बनाम

1. अनिल पुत्र हनुमान जाति जाट
2. कमला देवी पत्नी उम्मेद जाति जाट
3. चन्दगी पुत्र उदाराम जाति जाट
4. देवकरण पुत्र हनुमान जाति जाट
5. मुकेश कुमार पुत्र उम्मेद जाति जाट
6. मनेश कुमार पुत्र उम्मेद जाति जाट
7. रामनिवास पुत्र हनुमान जाति जाट
8. रामोतार पुत्र उदाराम जाति जाट
9. विद्याधर पुत्र उदाराम जाति जाट (दौराने दावा मृतक)
   - 9/1. देवेन्द्र कुमार पुत्र विद्याधर
   - 9/2. रविन्द्र कुमार पुत्र विद्याधर
   - 9/3. श्रवणी देवी पत्नी विद्याधर
10. श्रवणी देवी पत्नी रामनिवास जाति जाट
11. सरिता पुत्री उम्मेद जाति जाट
12. घासीराम पुत्र लीलाधर जाति जाट
13. मोहन पुत्र मालाराम जाति नायक
14. रामचन्द्र पुत्र मालाराम जाति नायक
15. सुमन देवी पत्नी धर्मेन्द्र जाति नायक
16. सुमित्रा पत्नी लीलाधर
17. दारासिंह पुत्र भुराराम जाति जाट
18. बृजलाल पुत्र भुराराम जाति जाट
19. राकेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट
20. राजेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासीगण कांट तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाऊ जिला झुझुनूं।

– अनावेदकगण

वकील आवेदक – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अनावेदकगण–

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक 17.12.2025

संक्षेप में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कांट पटवार हल्का कांट में भूमि हाल ख.न. 520, 524, 525, 528, 529 कुल किता 5 कुल रकबा 5.84 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी बिजली का कुआं मय कनेक्शन व आवास बनाकर आबाद है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की उक्त वर्णित भूमि में आवारा पशुओं से फसल बचाने व अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबन्दी करवान चाहता है। जिसके लिये उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जानी आवश्यक है। आवेदक द्वारा अपनी उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार से दिनांक 25.04.2016 को करवाया हुआ है। आवेदक अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 25.04.2016 के पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उक्त वर्णित भूमि के समस्त पड़ौसी खातेदारों को आवश्क पक्षकार अनावेदकगण बनाया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 25.04.2016 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 3 स्वय उपस्थित आया। अनावेदक संख्या 3 को पत्थरगढ़ी करवाये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 20 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 20 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी की भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहती है जो न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 3 नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने में सहमत है। शेष के विरूद्व

एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तमाम साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कांट स्थित भूमि ख0न0 520, 524, 525, 528, 529 कुल किता 5 कुल रकबा 5.84 है0 भूमि में कोई विवाद नहीं होने के स्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 25.04.2016 के पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर